Central Hindi Directorate

Scheme of Financial Assistance for Publications in Hindi.

The above-mentioned scheme is being implemented by the Central Hindi Directorate, Deptt. Of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with a view to encourage Hindi writers to write in Hindi.

Financial Assistance for Publication of Hindi manuscripts:-

Under this scheme financial assistance will be provided for the publication of manuscripts of Hindi reference books, manuscripts of knowledge and science, linguistics, literature, criticism, sociology, culture and translations into Hindi from other languages. **The manuscripts of fiction, novels, dramas, poetry and thesis shall not be considered for financial assistance under the scheme. The scheme is applicable to writers only and not to the publishers. The manuscripts should not be less than 100 pages.**

Procedure for applying:-

The applicant may send his application on the prescribed proforma to the Central Hindi Directorate alongwith one copy of the concerned manuscript **latest by 29.02.2020**. Applications received after the last date shall not be entertained.

It may further be noted that under the scheme, the manuscript submitted must be neatly typed and bound (either spiral or properly stitched). The illegible or unbound manuscripts shall be rejected.

The prescribed application form may be obtained from the following:-

Director,
Central Hindi Directorate,
(Department of Higher Education),
Ministry of Human Resource Development,
West Block No. 7, R.K. Puram,
New Delhi-110066

For further details and the proforma of the application please refer to our website- www.chd.mhrd.gov.in

www.chdpublication.mhrd.gov.in

केंद्रीय हिंदी निदेशालय प्रकाशन अनुदान के लिए आवेदन

"हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र"

द्वारा

.....

.....

.....

स्थान:

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली -110066

फोटो

महोदय,

हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मेरी पांडुलिपि .....के प्रकाशन अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत है ।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने योजना के समस्त नियमों को पढ़ लिया है, मैं उन्हें मानने के लिए सहमत हूँ ।

3. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संघ के पंजीकृत ज्ञापन और नियमों के अनुसार आवेदक स्वैच्छिक संगठन के नाम से मुकदमा दायर करने और कराने के लिए सक्षम है ।

4. मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पांडुलिपि अप्रकाशित है । (पुनर्मुद्रण को छोड़कर) तथा यह कहीं भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, साथ ही जब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय से इस मामले का अंतिम निपटान नहीं हो जाता, इसे कहीं भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

भवदीय

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पता .....

.....

दूरभाष/मोबाइल नं. सहित .....

ई-मेल .....

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : .....

(i) आवेदक की स्थिति व्यक्ति/संगठन/संस्था : .....

(ii) यदि संस्था है तो पंजीकृत है अथवा नहीं : .....

2. (i) पांडुलिपि का नाम : .....

(ii) लेखक का नाम : .....

(iii) पुस्तक का प्रकाशन कितने खंडों/भागों में होगा । : .....

(iv) यदि प्रकाशन कई खंडों/भागों में होना है तो किस खंड/भाग के लिए वित्तीय सहायता मांगी जा रही है । : .....

3. प्रस्तुत प्रकाशन का प्रतिपाद्य विषय : .....

4. प्रस्तुत आवेदन क्या प्रथम संस्करण के प्रकाशन के संबंध में है या पुनर्मुद्रण के संबंध में है ? यदि यह पुनर्मुद्रण है तो प्रथम संस्करण की तिथि बताएँ । : .....

5. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में आवेदक की स्थिति (लेखक/संपादक/अनुवादक) : .....

6. प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में कॉपीराइट किसके पास है ? : .....

7. प्रस्तुत प्रकाशन पर कुल अनुमानित व्यय (रु.....तक सीमित : .....

(i) दुर्लभ पांडुलिपियों की सूचियों/ दुर्लभ पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रण हेतु 1100 प्रतियाँ : .....

(ii) अन्य पांडुलिपियों के मुद्रण हेतु 1100 प्रतियाँ : .....

(iii) अनुदान के लिए स्वीकृत पुस्तकों के ई-संस्करण को निदेशालय की वेबसाइट पर आवेदक स्वयं अप-लोड करेंगे । : .....

...2/-

प्रकाशन का विवरण

8. (i) पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित होगी : .....

(ii) पुनर्मुद्रण/अनुवाद/मूल/संपादित : .....

(iii) अनुमानित मुद्रित पृष्ठ (खंड-वार) : .....

(iv) प्रकाशित पुस्तक का अंतिम आकार : .....

(v) मुद्रित प्रतियों की संख्या (1100 प्रतियाँ) : .....

(vi) बहुखंडीय प्रकाशनों में खंडों की संख्या : .....

उत्पादन लागत / व्यय

9. कंपोजिंग, प्रूफरीडिंग व स्कैनिंग : .....

10. टेक्स्ट के मुद्रण की लागत (प्रति फॉर्म) : .....

(सीटीपी या प्रोसेसिंग, प्लेटमेकिंग और प्रिंटिंग सहित) : .....

11. पाठ्य कागज की लागत (मेपलिथो) : .....

12. कवर प्रिंट की लागत : .....

(कागज, लेमिनेशन, डिजाइनिंग, प्लेटमेकिंग व प्रिंटिंग सहित) : .....

13. बाइंडिंग : परफैक्ट बाइंडिंग (1100 प्रतियाँ) : .....

14. पैकिंग व फॉरवर्डिंग व्यय : .....

15. लेखक/संपादक/अनुवादक का मानदेय : .....

16. योजना के अंतर्गत सरकार से अपेक्षित अनुदान राशि : .....

17. स्रोत, जहाँ से शेष राशि की भरपाई की जाएगी : .....

18. क्या आवेदक के पास प्रकाशन के संबंध में समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? : .....

19. अनुदान की प्रथम किश्त के भुगतान पर प्रस्तुत प्रकाशन के लिए अपेक्षित समय (अनुमोदन की स्थिति में) : .....

20. संगठन/संस्था की परिसंपत्ति की कीमत : .....

(i) भवन : .....

(ii) फर्नीचर : .....

(iii) उपस्कर : .....

(iv) पुस्तकालय पुस्तकें : .....

(v) कोई अन्य प्रकार : .....

कुल .....

21. विगत पाँच वर्षों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण दें : .....

22. गत पाँच वर्षों में केंद्र, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण दें : .....

(i) वर्ष : .....

(ii) प्राप्त अनुदान की राशि : .....

(iii) उद्देश्य : .....

(iv) संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम : .....

23. क्या इसी उद्देश्य के लिए सरकार से पहले भी वित्तीय सहायता की माँग की गई थी ? यदि हाँ तो परिणाम ? : .....

24. आवेदक की प्रमुख गतिविधियाँ : .....

25. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पांडुलिपि की मास्टर कॉपी मेरे (आवेदक के) पास है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बिना कोई कारण बताए मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

भवदीय

हस्ताक्षर ----------

पूरा नाम ----------

पता ----------

दूरभाष/मोबाइल नं. सहित ----------

ई-मेल ----------

संलग्नों की सूची:-

1. संबंधित पांडुलिपि की दो प्रतियाँ । कृपया यह ध्यान रखें की पांडुलिपि साफ-साफ टंकित/हस्तलिखित हो तथा सभी पृष्ठ क्रमवार व्यवस्थित रूप से मिले हों।

2. यदि आवेदक स्वयं लेखक नहीं है तो लेखक द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि लेखों का संकलन है तो सभी लेखकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो सह लेखक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

3. यदि आवेदक संस्था है तो पिछले तीन वर्षों के चार्टरित लेखे संलग्न करें।

4. लेखकों को मौलिक लेखन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. आवेदक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि अनुदान के लिए स्वीकृत पुस्तकों के ई-संस्करण को निदेशालय की वेबसाइट पर अप-लोड करेंगे।

नोट - एक बार अनुदान प्राप्त कर लेने पर आवेदक आगामी 5 (पाँच) वर्षों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।